| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 12-2-26 | पत्रावली पेश हुई। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत बटवारा रिपोर्ट के मुताबिक खाता सं. 112 ख.सं. 3135 रकबा 0.14 हैक्टेयर ख.नं. 3136 रकबा 0.060 हैक्टेयर ख.नं. 3137 रकबा 0.280 हैक्टेयर ख.नं. 3144 रकबा 0.48 हैक्टेयर ख.नं. 3151 रकबा 0.35 हैक्टेयर ख.नं. 3156 रकबा 0.280 हैक्टेयर ख.नं. 3157 रकबा 0.080 हैक्टेयर कुल किता-7 योग रकबा 1.67 हैक्टेयर वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ स्थित कृषि भूमि में से निम्न प्रकार से वादी व प्रतिवादीगण के मध्य अन्तिम बटवारा किया जाता है। |
| | (1) वादी बाबूलाल पुत्र किशना माली के हिस्से में। |
| | खसरा सं. 3135 रकबा 0.14 हैक्टेयर, ख.सं. 3136 रकबा 0.060 हैक्टेयर ख.सं. 3137 रकबा 0.28 हैक्टेयर ख.सं. 3156 रकबा 0.28 हैक्टेयर ख.सं. 3157/2 रकबा 0.0750 हैक्टेयर किता-5 योग रकबा 0.8350 हैक्टेयर वाके ग्राम लाखेरी वादी के हिस्से में रहेगा। |
| | (2) प्रतिवादीगण के हिस्से में निम्नलिखित खसरा संख्या रहेंगे। |
| | ख. 3144 रकबा 0.48 हैक्टेयर ख.सं. 3151 रकबा 0.3500 हैक्टेयर ख.सं 3157/1 रकबा 0.005 हैक्टेयर कुल किता-3 योग रकबा 0.8350 हैक्टेयर वाके ग्राम लाखेरी प्रतिवादीगण के हिस्से में हिस्से अनुसार यथावत रहेगी नक्शा ट्रेस में पृथक-पृथक रंगो दर्शाये हुए हैं नक्शा ट्रेस अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। |
| | इसी अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। पत्रावली पर अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। |
| | (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी) |

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)</u>

दावा संख्या 21 / 2022 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 24..02.2022 — श्रीमती भावना सिंह(**RAS**)

बउनवान

बाबूलाल पुत्र किसना जाति माली निवासी गांधीपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

–वादी

बनाम

1. तीजू बाई पत्नी स्व गोपाल जाति माली निवासी गणेशपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
2. भंवरी बाई पुत्री स्व0 गोपाल पत्नी हीरालाल जाति माली निवासी झालीजी का बराना जिला बून्दी,राज0।
3. मंजू बाई पुत्री स्व0 गोपाल पत्नी सत्यनारायण जाति माली निवासी छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
4. बृजमोहन पुत्र स्व0 गोपाल जाति माली निवासी गणेशपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
5. हनुमान सैनी पुत्र स्व0 गोपाल जाति माली निवासी गणेशपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
6. गायत्री बाई पुत्री स्व0 गोपाल पत्नी महावीर जाति माली निवासी भवानी नगर नेनवा जिला बून्दी, राज0।
7. भेरूलाल पुत्र कानाराम जाति माली निवासी गणेशपुरा लाखेरी हाल निवास डीसीएम कोटा जिला कोटा, राज0।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

–प्रतिवादीगण

वाद बंटवारा कृषि भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53,188 आ0टी0एक्ट

अधिवक्ताः– 1. श्री आरिफ अली, श्री सत्यनारायण सैनी (अधिवक्ता वादी)

2. प्रतिवादीगण 1लगायत 8(एकपक्षीय कार्यवाही)

दिनांकः– 10.06.2025

<u>निर्णय</u>

संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषिभूमि खाता संख्या 112 के खसरा संख्या 3135 रकबा 0.14है0, खसरा संख्या 3136 रकबा 0.06है0, खसरा संख्या 3137 रकबा 0.28है0, खसरा संख्या 3144 रकबा 0.48है0, खसरा संख्या 3151 रकबा 0.35है0, खसरा संख्या 3156 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

0.28है0, खसरा संख्या 3157 रकबा 0.08है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.67है0 वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा निहित है। वाद विषयक आराजी में वादी व प्रतिवादीगण बाहय रजामंदी से बंटवारा कर अलग अलग कब्जा काश्त है परन्तु नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा नहीं हुआ है जिससे उक्त कृषि भूमि में विकास हेतु स्थाई निर्माण, सिंचाई के साधन व तार बाडा व कृषि विकास योजना एवं सहायता का लाभ प्राप्त नहीं होता है व लगान जमा कराने में परेशानी आती है। वादी ने प्रतिवादीगण से तहसील में चलकर बंटवारा करवाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण साफ इनकार कर दिया है। वादी ने अन्तिम बार दिनांक 08.02.2022 को प्रतिवादीगण 1 लगयायत 7 से बंटवारा करवाकर अलग खाता करवाने की कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट मना कर दिया यही वाद कारण है। अन्त में निवेदन किया गया कि वाद विषयक आराजी में निहित वादी का हिस्सा 1/2 का बंटवारा कर वादी का प्रतिवादीगण से अलग खाता कायम किया जावे और मुताबिक बंटवारा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 को विधवत बंटवारा होने के पश्चात वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार के दखलांदाजी नहीं करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना का निवेदन किया।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पत्रावली वादी बाबूलाल के बयान करवाये गए। वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2072–75 खतौनी संख्या 112 वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ पेश की जो प्रदर्श–1 है, नक्शा ट्रेस जो प्रदर्श–2 है, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2081 पेश की जो प्रदर्श–3 है।

पत्रावली पर वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया वाद पत्र में अंकित वाद विषयक कृषिभूमियों का जमाबंदी में निहित वादी के हिस्से अनुसार बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से खाता अंकित किया जावे एवं इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपस्थित प्रदर्श–1 वादविषयक कृषिभूमि जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में वादी बाबूलाल 1/2 हिस्से का रिकॉर्डेड सहखातेदार है। प्रदर्श–3 खसरा गिरदावरी से वादी का उक्त भूमि में कब्जा काश्त होना साबित है। वादी वाद विषयक आराजी का सहखातेदार होने से उसे कानूनन यह अधिकार प्राप्त है कि वह उसके हिस्से की कृषि भूमि का मौके पर बंटवारा करवाकर अपना खाता पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में कायम करावें। प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 वाद विषयक भूमि के सहखातेदार होने से उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाजा जारी किया जाना उचित नहीं समझते है। हमारे मत में वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वाद विषयक कृषि भूमि खाता संख्या नया 112 के खसरा संख्या 3135 रकबा 0.14है0, खसरा संख्या 3136 रकबा 0.06है0, खसरा संख्या 3137 रकबा 0.28है0, खसरा संख्या 3144 रकबा 0.48है0, खसरा संख्या 3151 रकबा 0.35है0, खसरा संख्या 3156 रकबा 0.28है0, खसरा संख्या 3157 रकबा 0.08है0

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

कुल किता 7 कुल रकबा 1.67है0 वाके ग्राम लाखेरी पटवार हल्का लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में निहित वादी के 1/2हिस्से का विधिवत बंटवारा किये जाने बाबत् तहसीलदार इन्द्रगढ़ को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्षों को तलब कर राजस्व मण्डल(बंटवारा नियम) 18 से 21 व धारा 53 आरटी एक्ट के प्रावधानों को मध्य नजर रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में दिनांक 31–07–2025 से पूर्व भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। शेष इन्द्राज यथावत जमाबंदी रहेगा। बंटवारा कमिश्नर फीस 500/– रुपये नियत की जाती है जो वक्त बंटवारा वादीगण के द्वारा अदा की जावेगी। तदानुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक दिनांक 10–06–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

प्राथमिक डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत ........उपखण्ड अधिकारी.......................................................मुकाम............लाखेरी............................व
इजलास........श्रीमती भावना सिंह(आर0ए0एस)........................................................................................................................

1. बाबूलाल पुत्र किसना जाति माली निवासी गांधीपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

—वादी

बनाम

1. तीजू बाई पत्नी स्व0 गोपाल जाति माली निवासी गणेशपुरा लाखेरी जिला बून्दी, राज0। वगै0

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत 53,188 आर0टी0एक्ट

सन् ..........................

मुकदमा नम्बर 21/दावा/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ................ हमारे...........व हाजिरी .....वादी अधिवक्ता श्री आरीफ अली, श्री सत्यनारायण सैनी ......मिनजानिब मुद्दई रूबरू ......................... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि —

वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वाद विषयक कृषि भूमि खाता संख्या नया 112 के खसरा संख्या 3135 रकबा 0.14है0, खसरा संख्या 3136 रकबा 0.06है0, खसरा संख्या 3137 रकबा 0.28है0, खसरा संख्या 3144 रकबा 0.48है0, खसरा संख्या 3151 रकबा 0.35है0, खसरा संख्या 3156 रकबा 0.28है0, खसरा संख्या 3157 रकबा 0.08है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.67है0 वाके ग्राम लाखेरी पटवार हल्का लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में निहित वादी के 1/2हिस्से का विधिवत बंटवारा किये जाने बाबत् तहसीलदार इन्द्रगढ़ को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्षों को तलब कर राजस्व मण्डल(बंटवारा नियम) 18 से 21 व धारा 53 आरटी एक्ट के प्रावधानों को मध्य नजर रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में दिनांक 31—07—2025 से पूर्व भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। शेष इन्द्राज यथावत जमाबंदी रहेगा। बंटवारा कमिश्नर फीस 500/— रुपये नियत की जाती है जो वक्त बंटवारा वादीगण के द्वारा अदा की जावेगी। निज.......................................मुबलिग.................................................बाबत.......................................................
..............................खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ..........................................................................................
..................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ......................का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 10 माह 06 सन् 2025** को जारी की गई।

दस्तखत
ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

मुहर

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुद्दायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.स्टाम्प अर्जीदावा | | | 1.स्टाम्प अर्जीदावा | | |
| 2.स्टाम्प वकालतनामा | | | 2.स्टाम्प अर्जी | | |
| 3.स्टाम्प वजह सबूत | | | 3.महनताना वकील | | |
| 4.महनताना वकील | | | 4.खर्चा गवाहॉन | | |
| 5.खर्चा गवाहॅान | | | 5.फीस कमिश्नर | | |
| 6.फीस कमिश्नर | | | 6.बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| 7.बाबत इजराय हुक्मनामा | | | 7.मुत्तफरिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Scanned with OKEN Scanner

100/- रूपये नोन-ज्यूडिशियल स्टाम्प सलग्न

# अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
## (O 20, R 6,7)
## (Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत ........उपखण्ड अधिकारी.................................................... मुकाम............लाखेरी............

.............. व इजलास.......श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी (आर0ए0एस)...........................................................................

..........................................................

बाबूलाल आ0 किसना जाति माली निवासी गांधीपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी। बनाम 1 तीजूबाई पत्नि स्व गोपाल जाति माली निवासी गणेशपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

–प्रतिवादीगण

–वादीगण

**वाद बाबत 53 आर0टी0एक्ट**

मुकदमा नम्बर ...........**21/दावा/2022**........................ सन् ..........................

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ............... हमारे................ व हाजिरी ........ श्री आरिफ अली,...... मिनजानिब मुद्दई रूबरू....................... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती कि–

वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है मुताबिक बंटवारा कमिशनर रिपोर्ट के मुताबिक विवादित अराजी खसरा संख्या 3135 रकबा 0.14 हैक्टर, ख0सं0 3136 रकबा 0.060 हैक्टर, ख0सं0 3137 रकबा 0.280 हैक्टर, ख0सं0 3144 रकबा 0.48 हैक्टर, ख0सं0 3151 रकबा 0.35 हैक्टर, ख0सं0 3156 रकबा 0.280 हैक्टर, ख0सं0 3157 रकबा 0.080 हैक्टर, कुल किता 7 योग रकबा 1.67 हैक्टर वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ मे स्थित कृषि भूमि में से ख0सं0 3135 रकबा 0.14 हैक्टर, ख0सं0 3136 रकबा 0.060 हैक्टर, ख0सं0 3137 रकबा 0.28 हैक्टर, ख0सं0 3156 रकबा 0.28 हैक्टर, ख0सं0 3157/2 रकबा 0.0750 हैक्टर, किता 5 योग रकबा 0.8350 हैक्टर भूमि वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ मे स्थित कृषि भूमि वादी बाबूलाल के हिस्से में रहेगी व शेष ख0सं0 3144 रकबा 0.48 हैक्टर, ख0सं0 3151 रकबा 0.3500 हैक्टर, ख0सं0 3157/1 रकबा 0.005 हैक्टर, कुल किता 3 योग रकबा 0. 8350 हैक्टर भूमि वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ मे स्थित कृषि भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में हिस्सेनुसार यथावत रहेगी नक्शा ट्रेस में पृथक–पृथक रंगों से दर्शाये हुई है। नक्शा ट्रेस अन्तिम डिकी का भाग रहेगा।

निज.....................................मुबलिग...................................................बाबत..........................................................................................

मुकद्दमें के मय सूद बशरह ...........................................................................................................................................खर्चा इन तारीख अदायगी तक ......................का अदा करें।.........................................................................फीसदी सालाना आज की तारीख से

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **12** माह **02** सन् **2026** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

मुहर

दस्तखत

ओहदा

(उपखण्ड अधिकारी)
लाखेरी(बून्दी)

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुद्दायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.स्टाम्प अर्जीदावा | | | 1.स्टाम्प अर्जीदावा | | |
| 2.स्टाम्प वकालतनामा | | | 2.स्टाम्प अर्जी | | |
| 3.स्टाम्प वजह सबूत | | | 3.महनताना वकील | | |
| 4.महनताना वकील | | | 4.खर्चा गवाहॉन | | |
| 5.खर्चा गवाहॉन | | | 5.फीस कमिश्नर | | |
| 6.फीस कमिश्नर | | | 6.बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| 7.बाबत इजराय हुक्मनामा | | | 7.मुत्तफरिक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Scanned with OKEN Scanner

2. भंवरीबाई पुत्री स्व0 गोपाल पत्नी सत्यनारायण जाति माली निवासी छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
3. मंजूबाई पुत्री स्व0 गोपाल पत्नी सत्यनारायण जाति माली निवासी छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
4 बृजमोहन पुत्र स्व0 गोपाल जाति माली निवासी गणेशपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
5 हनुमान सैनी पुत्र स्व0 गोपाल जाति माली निवासी गणेशपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
6 गायत्री बाई पुत्री स्व0 गोपाल पत्नी महावीर जाति माली निवासी भवानी नगर नैनवा जिला बून्दी राज0।
7 स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी